न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 172/2019 वाद

कैलाश पिता जगदीश मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. जगदीश पिता प्यारचन्द मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कामेरी बाई पुत्री जगदीश मेनारिया ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.11.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के स्वामित्व, हक हिस्से व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात वाके मौजा बोराखेडी की खाता संख्या 86 की आराजी नं. 113, 144, 190, 237, 573, 787 कुल किता 6 कुल रकबा 8.3500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र कैलाश वादी है तथा एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 है। विवादित भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा कर इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के घर में जन्म लेते ही बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हो गया तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने विवादित भूमि में अपना हिस्सा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे तथा नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा वास्ते घोषणा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री करते हुए पुश्तैनी होने से विवादित भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा रखा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को उसका हिस्सा नकद दिये जाने से विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं चाहा है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी ने वाद के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम बोराखेडी की खाता संख्या 86 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2052-55 ग्राम बोराखेडी की खाता संख्या 75 व 78, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोराखेडी प्रस्तुत की है। संवत 2052-55 की जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि पूर्व में प्यारचन्द पिता भुवाना ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। विवादित भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा बोराखेडी की खाता संख्या 86 की आराजी नं. 113, 144, 190, 237, 573, 787 कुल किता 6 कुल रकबा 8.3500 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

पं 25/11/19
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:29:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: